संख्या-4/2018/1722/12-5-2017-सा०-03/2018

प्रेषक,

ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ:: दिनांक:: 15 फरवरी, 2018**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-00-105-03 योजनान्तर्गत धन अन्तरण हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यय को वहन करने हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-गु०नि०/1208/पनर्विनियोग/2017-18, दिनांक 13.12.2017 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 00- 105-खाद तथा उर्वरक, 03-उर्वरक एवं कीटनाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालाएं योजनान्तर्गत 01-वेतन मद की बचत से 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान एवं 29-अनुरक्षण मद में धन अन्तरण हेतु रू० 21.95 लाख (रू० इक्कीस लाख पंचानबे हजार मात्र) की अतिरिक्त धनराशि को विभागीय बचतों से पुनर्विनियोग के माध्यम से संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) के अनुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त जारी स्वीकृति के सापेक्ष एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय बल्कि आवश्यकतानुसार धनराशि को कोषागार से आहरित की जाय।

3- जिस मद में बचत बतायी गयी है चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में उस मानक मद में धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

4- उक्त स्वीकृति की जा रही धनरशि अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 00-105-खाद तथा उर्वरक, 03-उर्वरक एवं कीटनाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालाएं योजनान्तर्गत 01-वेतन मद में होने वाली बचत को पुर्नविनियोग करते लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 00- 105-खाद तथा उर्वरक, 03-उर्वरक एवं कीटनाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालाएं योजनान्तर्गत मानक मद 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान एवं 29-अनुरक्षण आदि पर व्यय के नामे डाला जायेगा।

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-8/2017/बी-1-1190//दस-2017-231/ 2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-4/2018/1722(1)/12-5-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्न की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
5. सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
7. गार्ड फाइल।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,

(मंजू लता सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।